

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की 130वीं बैठक दिनांक 28.06.2008 में लिये गये निर्णय/सुझाव का विवरण।

ए.सं.	विषय	बैठक में लिये गये निर्णय/ सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी	पालना रिपोर्ट	
1	130.1	कार्यकारी समिति की 129 वीं बैठक दिनांक 20.05.2008 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि एवं लिये गये निर्णयों की क्रियान्विति रिपोर्ट।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से पुष्टि किये जाने का प्रस्ताव पारित किया गया।		
2	130.2	जविप्रा क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम बस्सी सीतारामपुरा के खसरा नं. 1(1/2) रकबा 30 बीघा 05 बिस्वा, ग्राम झोटवाडा के खसरा नं. 1068 रकबा 25 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नं. 1069 रकबा 4 बीघा 05 बिस्वा, ग्राम परसरामपुरा के खसरा नं. 1 रकबा 21 बीघा 02 बिस्वा, ख.नं. 2 रकबा 10 बीघा 11 बिस्वा, ख.नं. 3 रकबा 12 बीघा 02 बिस्वा, ख.नं. 4/1,2 रकबा 14 बीघा 10 बिस्वा, ख.नं. 5 रकबा 1 बीघा 06 बिस्वा, ख.नं. 6 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा, ग्राम बीड सरकारी खसरा नं. 7 रकबा 73 बीघा 04 बिस्वा, ख.नं. 8 रकबा 140 बीघा 16 बिस्वा, ख.नं. 9 रकबा 22 बीघा, रकबा 10 बीघा 15 बिस्वा कुल रकबा 370.00 बीघा का भू-उपयोग उपान्तरण आवासीय से संस्थानिक किये जाने के संबंध में। (दिलीप सिंह)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से राजस्व राजस्व ग्राम बस्सी सीतारामपुरा के खसरा नं. 1(1/2) रकबा 30 बीघा 05 बिस्वा, ग्राम झोटवाडा के खसरा नं. 1068 रकबा 25 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नं. 1069 रकबा 4 बीघा 05 बिस्वा, ग्राम परसरामपुरा के खसरा नं. 1 रकबा 21 बीघा 02 बिस्वा, ख.नं. 2 रकबा 10 बीघा 11 बिस्वा, ख.नं. 3 रकबा 12 बीघा 02 बिस्वा, ख.नं. 4/1,2 रकबा 14 बीघा 10 बिस्वा, ख.नं. 5 रकबा 1 बीघा 06 बिस्वा, ख.नं. 6 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा, ग्राम बीड सरकारी खसरा नं. 7 रकबा 73 बीघा 04 बिस्वा, ख.नं. 8 रकबा 140 बीघा 16 बिस्वा, ख.नं. 9 रकबा 22 बीघा, रकबा 10 बीघा 15 बिस्वा कुल रकबा 370.00 बीघा का भू-उपयोग उपान्तरण आवासीय से संस्थानिक किये जाने का निर्णय लिया गया। लेकिन रूपान्तरण पश्चात् खातेदार को 1 वर्ष की अवधि में नक्शा अनुमोदन कराना आवश्यक होगा अन्यथा नक्शा अनुमोदन नहीं करवाने पर निरस्तीकरण की कार्यवाही की जावेगी। प्रकरण 1500 व.ग. से अधिक होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे।	निदेशक (आयोजना)	
3	130.3	भूखण्ड संख्या ए-256, गिरधारीपुरा पुनर्वास बस्ती, अजमेर रोड क्षेत्रफल 40.50 वर्ग मीटर का स्वतः निरस्त आवंटन बहाल करने के संबंध में। (भीम सिंह)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से ए-256, गिरधारीपुरा पुनर्वास बस्ती, अजमेर रोड क्षेत्रफल 40.50 वर्ग मीटर का नियमानुसार ब्याज व पेनल्टी वसूल करते हुए नियमितकरण किये जाने हेतु राज्य सरकार को भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।	उपायुक्त जोन-7	
4	130.4	दिनांक 31.03.03 से 13.08.06 तक नगर नियोजक के पद की सीधी भर्ती कोटा की एक रिक्त को अस्थायी तौर पर पदोन्नति कोटा में हस्तान्तरण बाबत।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से दिनांक 31.03.03 से 13.08.06 तक नगर नियोजक के पद की सीधी भर्ती कोटा की एक रिक्त को अस्थायी तौर पर पदोन्नति कोटा में हस्तान्तरण किये जाने का अनुमोदन किया गया।	अति. आयुक्त (प्रशासन)	
5	130.5	जविप्रा क्षेत्र में स्थित जविप्रा द्वारा दी इस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनेन्शियल एनालिस्ट आफ इण्डिया को आवंटित ग्राम जामडोली तहसील के खसरा नं. 505/1 रकबा 99.05 बीघा भूमि में से 40 एकड़ भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ईकोलोजिकल से संस्थानिक किये जाने के संबंध में।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से जविप्रा द्वारा दी इस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनेन्शियल एनालिस्ट आफ इण्डिया को आवंटित ग्राम जामडोली तहसील के खसरा नं. 505/1 रकबा 99.05 बीघा भूमि में से 40 एकड़ भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ईकोलोजिकल से संस्थानिक किये जाने हेतु राज्य सरकार को प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया। धारा 25(1) की कार्यवाही माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित डी.बी. (सिविल) रिट पिटिशन संख्या 6084/06 के निर्णय के अध्याधीन रहेगी।	निदेशक (आयोजना)/ उपायुक्त जोन- 10	
6	130.6	ग्राम जयसिंह बास भांकरोटा, तहसील सांगानेर के ख.नं. 763 रकबा 1.89 है. भूमि का भू-उपयोग आवासीय क्षेत्र से वाणिज्यिक किये जाने के संबंध में।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से ग्राम जयसिंह बास भांकरोटा, तहसील सांगानेर के ख.नं. 763 रकबा 1.89 है. भूमि सेक्टर रोड में निहित होने वाली 1546 व.मी. भूमि जविप्रा को निःशुल्क समर्पित करने की शर्त पर शेष 17354 व. मी. भूमि का भू-उपयोग आवासीय क्षेत्र से वाणिज्यिक किये जाने का निर्णय लिया गया लेकिन रूपान्तरण पश्चात् खातेदार को 1 वर्ष की अवधि में नक्शा अनुमोदन कराना आवश्यक होगा अन्यथा नक्शा अनुमोदन नहीं करवाने पर निरस्तीकरण की कार्यवाही की जावेगी। प्रकरण 1500 व.ग. से अधिक होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे।	निदेशक (आयोजना)/ उपायुक्त जोन-11	
7	130.7	जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम-महल, गोनेर रोड सेक्टर-29 जगतपुरा जयपुर के पुर्नगठित भूखण्ड संख्या एस-167 से एस-174 योजना श्रीराम विहार के कुल क्षेत्रफल 3818.48 वर्गगज का भू-उपयोग उपान्तरण आवासीय से व्यावसायिक किये जाने के संबंध में।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से ग्राम-महल, गोनेर रोड सेक्टर-29 जगतपुरा जयपुर के पुर्नगठित भूखण्ड संख्या एस-167 से एस-174 योजना श्रीराम विहार के कुल क्षेत्रफल 3818.48 वर्गगज का भू-उपयोग उपान्तरण आवासीय से व्यावसायिक किये जाने का निर्णय लिया गया लेकिन रूपान्तरण पश्चात् खातेदार को 1 वर्ष की अवधि में नक्शा अनुमोदन कराना आवश्यक होगा अन्यथा नक्शा अनुमोदन नहीं करवाने पर निरस्तीकरण की कार्यवाही की जावेगी। प्रकरण 1500 व.ग. से अधिक होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे।	निदेशक (आयोजना)/ उपायुक्त जोन-9	

ए.सं.	विषय	बैठक में लिये गये निर्णय/ सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी	पालना रिपोर्ट	
8	130.8	ग्राम रामपुरा बास भांकरोटा तहसील सांगानेर के खसरा नं. 130/25 रकबा 0.68 है। भूमि का भू-उपयोग आवासीय क्षेत्र से व्यावसायिक किये जाने के संबंध में।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से ग्राम रामपुरा बास भांकरोटा तहसील सांगानेर के खसरा नं. 130/25 रकबा 0.68 है। भूमि में से सेक्टर रोड में निहित होने वाली 1360 व.मी. भूमि जविप्रा को निःशुल्क समर्पित किया जाकर शेष भूमि में से सेक्टर रोड के सहाने प्रस्तावित सेक्टर वाणिज्यिक भूमि में निहित होने वाली 2106 व.मी. भूमि छोड़ते हुये शेष 3334 व.मी. भूमि का भू-उपयोग आवासीय क्षेत्र से व्यावसायिक किये जाने का निर्णय लिया गया लेकिन रूपान्तरण पश्चात् खातेदार को 1 वर्ष की अवधि में नक्शा अनुमोदन कराना आवश्यक होगा अन्यथा नक्शा अनुमोदन नहीं करवाने पर निरस्तीकरण की कार्यवाही की जावेगी। प्रकरण 1500 व.ग. से अधिक होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे।	निदेशक (आयोजना)/ उपायुक्त जोन-11	
अन्य मुद्दे आयुक्त महोदय की अनुमति से (SUPPLEMENTARY AGENDA)					
9	130.9	जविप्रा क्षेत्र में स्थित पुर्नगठित भूखण्ड संख्या सी-5ए एवं सी-5डी, क्षेत्रफल 2324.82 व.मी. का भू-उपयोग उपान्तरण आवासीय से व्यावसायिक प्रयोजनार्थ किये जाने के संबंध में।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से जविप्रा क्षेत्र में स्थित पुर्नगठित भूखण्ड संख्या सी-5ए एवं सी-5डी, क्षेत्रफल 2324.82 व.मी. का भू-उपयोग उपान्तरण आवासीय से व्यावसायिक प्रयोजनार्थ किये जाने का निर्णय लिया गया लेकिन रूपान्तरण पश्चात् खातेदार को 1 वर्ष की अवधि में नक्शा अनुमोदन कराना आवश्यक होगा अन्यथा नक्शा अनुमोदन नहीं करवाने पर निरस्तीकरण की कार्यवाही की जावेगी। प्रकरण 1500 व.ग. से अधिक होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे।	उपायुक्त जोन-1	
10	130.10	ग्राम सिरौली गोनेर तहसील सांगानेर में भूखण्ड संख्या जी-1, जी-2, जी-3, जी-4, जी-5, जी-6, जी-7, क्षेत्रफल 116158.00 व.मी. एवं सी-1, सी-2, सी-3 क्षेत्रफल 31333.00 व.मी. कुल क्षेत्रफल 147491.00 व.मी. भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण आवासीय/मिश्रित से आवासीय/व्यावसायिक/ संस्थानिक किये जाने के संबंध में।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से ग्राम सिरौली गोनेर तहसील सांगानेर में भूखण्ड संख्या जी-1, जी-2, जी-3, जी-4, जी-5, जी-6, जी-7, क्षेत्रफल 116158.00 व.मी. एवं सी-1, सी-2, सी-3 क्षेत्रफल 31333.00 व.मी. कुल क्षेत्रफल 147491.00 व.मी. भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण आवासीय/मिश्रित से आवासीय/व्यावसायिक/ संस्थानिक किये जाने का निर्णय लिया गया लेकिन रूपान्तरण पश्चात् खातेदार को 1 वर्ष की अवधि में नक्शा अनुमोदन कराना आवश्यक होगा अन्यथा नक्शा अनुमोदन नहीं करवाने पर निरस्तीकरण की कार्यवाही की जावेगी। प्रकरण 1500 व.ग. से अधिक होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे।	निदेशक (आयोजना)/ उपायुक्त जोन-9	
11	130.11	जयपुर विकास प्राधिकरण में वर्तमान विज्ञापन निति के अनुसार विभिन्न प्रकार के विकास कार्यों तथा अन्य प्रकार के प्रकाशन हेतु विज्ञापन निति में संशोधन के संबंध में।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से प्रस्ताव जविप्रा के हित में होने से अनुमोदन किया गया।	विशेषाधिकारी (जनसम्पर्क)	
12	130.12	जविप्रा क्षेत्र में स्थित जविप्रा द्वारा जेनपेक्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर जयपुर प्रा. लि. को आवंटित ग्राम जामडोली तहसील के ख.नं. 165, 448 रकबा 187.28 बीघा किस्म बजंड बीड में से 25 एकड़ भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ईकोलोजिकल से औद्योगिक (सेज) किये जाने के संबंध में।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से जविप्रा क्षेत्र में स्थित जविप्रा द्वारा जेनपेक्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर जयपुर प्रा.लि. को आवंटित ग्राम जामडोली तहसील के ख.नं. 165, 448 रकबा 187.28 बीघा किस्म बजंड बीड में से 25 एकड़ भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ईकोलोजिकल से औद्योगिक (सेज) किये जाने का निर्णय लिया गया लेकिन रूपान्तरण पश्चात् खातेदार को 1 वर्ष की अवधि में नक्शा अनुमोदन कराना आवश्यक होगा अन्यथा नक्शा अनुमोदन नहीं करवाने पर निरस्तीकरण की कार्यवाही की जावेगी। प्रकरण 1500 व.ग. से अधिक होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे।	निदेशक (आयोजना) जोन-10	
13	130.13	जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम रामचन्द्रपुरा तहसील सांगानेर के खसरा नं. 193/1, 193/2, 193/3, 194/1 एवं 194/2 कुल किता 5 रकबा 0.92 है अर्थात् 9200 व.मी. भूमि का भू-उपयोग ग्रामीण से व्यावसायिक किये जाने के संबंध में।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि व्यावसायिक प्रयोजनार्थ 50 फीट रोड पर्याप्त नहीं है, अतः न्यूनतम 80 फीट रोड अथवा 100 फीट रोड का प्रस्ताव प्रस्तुत करने पर विचार किया जाना उपयुक्त होगा। तत्पश्चात् प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत करें।	निदेशक (आयोजना)	

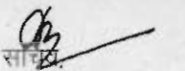
	ए.सं.	विषय	बैठक में लिये गये निर्णय / सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी	पालना रिपोर्ट
14	130.14	Construction of Equ/ trian Arena at OASES campus, Jagatpura, Jaipur.	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से Zonal Eng. (S R) के द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।	Zonal Eng. (S R)	
15	130.15	जविप्रा क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम लूनियावास तहसील आमेर के खसरा नं. 225 व 226/2 रकबा 0.38 हैक्टेयर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण इकोलोजिकल से वाणिज्यिक किये जाने के संबंध में।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाकर प्रकरण स्थगित किया गया। माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित डी.बी. (सिविल) रिट पिटिशन संख्या 6084/06 के निर्णय के अध्याधीन रहेगी।	उपायुक्त जोन-12	

जविप्रा क्षेत्र में स्थित भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण किये जाने के संबंध में यह निर्णय लिया गया कि जिन प्रकरणों में भू-उपयोग उपान्तरण हुए हैं, उन प्रकरणों में 01 वर्ष का समय प्राधिकरण से नक्शा अनुमोदन हेतु दिया जावे तथा निर्धारित समय में नक्शा अनुमोदन नहीं करवाने पर निरस्तीकरण किये जाने के संबंध में शीघ्र नीति बनायी जाकर कार्यवाही की जावे।


सदस्य सचिव,
जविप्रा, जयपुर

क्र.स.	पद	विभाग का नाम
1	निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री महोदय	नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार।
2	महापौर	जयपुर नगर निगम।
3	ज़िला प्रमुख	ज़िला परिषद, जयपुर।
4	अध्यक्ष	राजस्थान आवासन मण्डल।
5	शासन सचिव	नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6	आयुक्त	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
7	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक	रीको, जयपुर।
8	प्रबन्ध निदेशक	राजस्थान पर्यटन विकास निगम, जयपुर।
9	प्रबन्ध निदेशक	राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर।
10	जिला कलक्टर	जिला कलैक्ट्रेट, जयपुर।
11	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	नगर निगम, जयपुर।
12	पुलिस अधीक्षक	पुलिस विभाग, जयपुर।
13	सचिव	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
14	मुख्य नगर नियोजक	नगर नियोजन, राजस्थान, जयपुर।
15	मुख्य अभियन्ता	सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
16	मुख्य अभियन्ता	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर।
17	मुख्य अभियन्ता	जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. जयपुर।
18	निदेशक (विधि)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
19	निदेशक (अभियांत्रिकी / प्रोजेक्ट)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
20	निदेशक (परियोजना)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
21	निदेशक (आयोजना)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
22	निदेशक (वित्त)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
23	अतिरिक्त आयुक्त पूर्व / पश्चिम / प्रशासन / एल.पी.सी / भूमि	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
24	वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट / बीपीसी)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
25	विशेषाधिकारी (आर.एण्ड.एम) / अति.निदे. (राजस्व एवं स.नि.)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
26	उपायुक्त (समन्वय)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
27	उपायुक्त जोन.....	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
28	विशेषाधिकारी (जन-सम्पर्क)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

सम्बन्धित अधिकारी आगामी बैठक से पूर्व पालना रिपोर्ट अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रेषित करें।


सचिव

जविप्रा, जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की 130वीं बैठक दिनांक 28.06.08 को प्रातः 11.00 बजे जयपुर विकास प्राधिकरण के सभा कक्ष 'मंथन' में श्री डी. वी. गुप्ता, जयपुर विकास आयुक्त की अध्यक्षता में आयोजित की गई। उपस्थित निम्न प्रकार रही :-

क्र. सं.	नाम सदस्य/ अधिकारी	पद	विभाग	
1	श्री डी.वी. गुप्ता	आयुक्त	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	अध्यक्ष
2	श्री रामनिवास मीणा	सचिव	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य सचिव
3	श्री एस.सी. महामावकर	निदेशक (आयोजना)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
4	श्रीमती कौमुदी गुप्ता	निदेशक (वित्त)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
5	श्री एस.सी. सोनी	निदेशक (अभियांत्रिकी)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
6	श्री भूपेन्द्र कुमार शर्मा	निदेशक (विधि)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
7	श्री आर.जी. महावर	सहायक नगर नियोजक	रिको	सदस्य
8	श्री डी.पी. बरसल	अधिवशी अभियन्ता एवं टी.ए	पी.एच.ई. जयपुर	सदस्य
अन्य अधिकारी उपस्थित				
9	श्री बी.के.दोषी	अति.आयुक्त (पूर्व)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
10	श्री महेन्द्र सोनी	अति.आयुक्त (भूमि)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
11	रेखा गुप्ता	अति. आयुक्त (प्रशासन)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
12	श्री बी.एल. रावत	जोनल इंजीनियर (एस.आर.)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
13	श्री राजेन्द्र सिंह राठौड	उपायुक्त जोन-1	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
14	श्री वासुदेव शर्मा	उपायुक्त जोन-6	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
15	श्री एस. मित्रा	उपायुक्त जोन-7	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
16	श्री आकश तोमर	उपायुक्त जोन-8	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
17	श्री सुनिल पुनिया	तहसीलदार जोन-9	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
18	श्री अरूण गर्ग	उपायुक्त जोन-11	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
19	श्री देवाराम सोनी	उपायुक्त जोन-10 व 12	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
20	श्रीमती लवंग शर्मा	एस.टी.पी. (बी.पी.सी)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
21	श्री प्रभात गोस्वामी	विशेषाधिकारी (जन सम्पर्क)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	


सचिव
जयपुरा, जयपुर